PMGSY कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148 E-Mail: eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक ...738...../03 पी0एम0जी0एस0वाई0 *दिनाँक ...14...../08/2019*

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– *जनपद चम्पावत में चमदेवल–निडिल मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/10142/2015) की आपत्ति के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के ऑनलाइन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, देहरादून द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	उपरोक्त विषय में ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 25.06.2019 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी, जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की है। प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति KML file पर अंकित कर प्रस्तुत करें तथा PMGSY Norms के अनुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित करें।	विषयगत आपत्ति की संशोधित अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 737/03 पी0एम0जी0एस0वाई0, दिनांक 14.08.2019 द्वारा संलग्न कर प्रेषित है। लाभान्वित ग्रामों की स्थिति KML file पर अंकित कर ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रही है। अतः KML file ई–मेल के माध्यम से प्रेषित है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

पत्रांक ..../03 पी0एम0जी0एस0वाई0 *दिनाँक ..../08/2019*

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

PMGSY

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT

Phone – fax 05965-230148 E-Mail: eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक ......737...../03 पी0एम0जी0एस0वाई0 *दिनाँक ......14...../08/2019*

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– *जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदवेल से निडिल मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में*

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना Operation Manual February 2005 के Chapter 1 के Para 1.2.1, PMGSY: Programme goals – "*Rural Road connectivity is a key component of rural development by promoting access to economic and social services and thereby generating increased agricultural incomes and productive employment opportunities. It is also a key ingredient in ensuring poverty reduction.*" के अनुसार यद्यपि मार्ग द्वारा संयोजित अन्तिम बसावट खाईकोट ग्राम पंचायत है किन्तु मार्ग का अन्तिम बिन्दु केवल खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र में ही समाप्त करने पर, ग्रामवासियों द्वारा उनके कृषि क्षेत्र एवं बगीचों में उत्पन्न अनाज एवं फल ग्रामवासियों द्वारा उनके खेत से बाजार तक पहुँचाया जाना सम्भवन नहीं होगा क्योंकि ग्राम पंचायत खाईकोट के आवासीय क्षेत्र से खेत एवं बगीचों की दूरी लगभग 2.000 से 2.500 कि0मी0 की लम्बाई तक फैले हुए है जिस कारण मार्ग का अन्तिम बिन्दु खाईकोट ग्राम पंचायत के अवासीय क्षेत्र से आगे तक विस्तृत है, यद्यपि पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों द्वारा बसावटों को संयोजित करने की बात कही गयी है तथापि पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों को बनाने के पीछे का उददेश्य ग्रामीण जनता के आर्थिक एवं सामाजिक हितों को साधने का रहा है।

अतः यदि मार्ग को खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र में ही सीमित कर दिया जाता है तो ग्रामवासियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्भव नहीं है। पूर्व की भॉति ग्रामवासियों द्वारा उत्पन्न किया गया अनाज एवं फल उनके खेतों से बाजार तक न पहुॅच पाने की स्थिति में काश्तकार को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पायेगा जबकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने पर विगत कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है।

यहॉ यह भी अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम दिशा–निर्देश अप्रैल 2012 के पैरा 3.4 – *"उपर्युक्त पैरा 2.1 बसावटों की जनसंख्या के आकार से सम्बन्धित है। जनगणना 2001 में दर्ज की गयी जनसंख्या बसावट की जनंसख्या आकार को निर्धारित करने का आधार होगी। जनसंख्या आकार को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ 500 मी0 की दूरी के भीतर (पहाड़ों के मामले में 1.500 कि0मी0 पैदल दूरी) सभी बसावटों की जनसंख्या को एक साथ शामिल किया जा सकता है तथापि पहाड़ी राज्यों में अन्तराष्ट्रीय सीमा से लगे सीमांत खण्डों में (गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किये गये अनुसार) 10.000 कि0मी0 की पैदल दूरी में पड़ने वाली सभी बसावटों को इस उद्देश्य के लिए समूह माना जा सकता है। यह समूहगत नीति अनेक बसावटों विशेषकर पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क के प्राविधान को सक्षम बनायेगी।"* के अनुसार विषयगत क्षेत्र खाईकोट ग्राम पंचायत भारत–नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं एवं इसी क्षेत्र में भारत–नेपाल समझौते के तहत पंचेश्वर बाध प्रस्तावित है, विषयगत मार्ग (चमदेवल से निडिल) को खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र से आगे विस्तृत करने पर यह मार्ग लोहाघाट–पंचेश्वर (अन्तराष्ट्रीय सीमावर्ती मार्ग) से जुड़ जाता है। अतः उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए मार्ग का विस्तार खाईकोट ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र से आगे तक किया गया है।

क्रमशः पेज 2 पर

यह भी अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम दिशा–निर्देश अप्रैल 2012 के पैरा 3.5 – *"सड़को से न जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क अथवा अन्य मौजूदा बारहमासी सड़क से पहले से ही जुड़ी समीपवर्ती बसावटों से जोड़ा जाना होता है जिससे सड़कों से न जुड़ी बसावट में प्राप्त न होने वाली सेवायें (शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन, सुविधायें आदि) निवासियों को मिल सके।"* के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 मानकों के अनुसार यदि किसी बसावट की पैदल दूरी बारहमासी मार्ग से पहाड़ी क्षेत्रों में 1.500 कि0मी0 से कम है तो वह बसावट स्वंय संयोजित मानी जायेगी। अतः बसावट–जिन्डी सोराड़ (जनसंख्या–139) की, मार्ग के समरेखण से पैदल दूरी 1.500 कि0मी0 से कम होने के कारण उक्त बसावट को लाभान्वित ग्रामों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

अनुरोध है कि उपरोक्त कारणों का विचार कर मार्ग के वनप्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति देने की कृपा करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

पत्रांक ..../03 पी0एम0जी0एस0वाई0 *दिनाँक ..../08/2019*

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।